न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–29/2022 (GCMS No. 2022/31) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गीतिका उम्र करीब वर्ष पत्नि श्री देवेश मुदगल जाति ब्राहम्ण निवासी नगरपालिका रोड़ गुरूद्वारा धौलपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।
2. सीताराम
3. जवाहरलाल } पुत्रगण करनी कौम काछी निवासी नैनोखर तहसील व जिला
4. जगन्नाथ } धौलपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2022 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर अपील संख्या 17/2006 उनवानी गीतिका बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री योगेश शर्मा, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 06.05.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 07.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट का खसरा नम्बर 796 ग्राम नैनोखर तहसील धौलपुर की खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। उक्त खसरा नम्बर नक्शा लट्टा ट्रेस में सही है किन्तु जीर्णशीर्ण होने के कारण नया लट्टा ट्रेश बनवाया गया तो अपीलांट के ख.नं. 796 के स्थान पर ख.नं. 797 तकनीकी भूल से अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त कराने हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.

615

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

एक्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजूद सूचना/तामील कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।

3. विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट खसरा नम्बर 796 का खातेदार काश्तकार है जिसपर मौके पर काबिज काश्त है। लट्टा ट्रेस में ख.नं. 796 सही है परन्तु नये बनवाये गये लट्टा ट्रेस में ख.नं. 796 के स्थान पर 797 अंकित कर दिया। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करा पाने की अधिकारी है। अप्रार्थीण/प्रत्यर्थीगण ने जबाब प्रस्तुत कर नक्शा ट्रेस दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज करने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट तलव की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 796 एवं ख.नं. 797 का विभाजन हो चुका है और विवादित खसरा नम्बर में नये खातेदारों के हित समाहित हो चुके है जबकि विवादित आराजी ख.नं. 797 का कोई विभाजन नहीं हुआ है और न ही ख.नं. 797 में कोई सह खातेदार है। आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से आदेश 01 नियम 9 सी.पी.सी. के नीचे दावा/अपील खारिज नहीं किया जा सकता। जमाबंदी सही है और अपीलांट का कब्जा मुताबिक जमाबन्दी ही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जावे।

4. अपीलांट की बहस बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। खसरा नम्बर 796 व 797 का विभाजन के बाद अपने काबिज काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। माननीय जिला न्यायाधीश धौलपुर के आदेश दिनांक 15.09.2019 से विवादित आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सा घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.03.2020 के अनुसार प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 एवं 01 नियम 10 सी.पी.सी. कॉस्ट पर स्वीकार किये जाकर संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु नियत थी परन्तु संशोधित प्रार्थना पत्र पेश हुये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्यों का परीक्षण कर उनका निर्धारण किये बिना तकनीकी बिन्दु आदेश 06 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की पालना अपीलांट द्वारा नहीं किये जाने तथा आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने के आधार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पर निर्णय पारित किया है। इससे गुणावगुण पर निर्णय संभव नहीं हो सका। अपीलांट को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने सभी हितबद्व को पक्षकार बनाने का न्यायहित में एक अवसर और दिया जाना चाहिए था जिससे की सभी पक्षकारान का समुचित सुनवाई बाद गुणावगुण पर निर्णय किया जा सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

5. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.01.2022 अपास्त किया किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बन्दोवस्ती नकल नक्शा ट्रेस एवं नये नक्शा ट्रेस की जॉच कर पुनः पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर